

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-9  
संख्या- /2016/XXVIII(9)/यू0ओ0-04/स्टाम्प/2014  
देहरादून: दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय-समय पर यथा संशोधित की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, स्वयं सहायता समूहों द्वारा बैंकों से ₹ 5.00 लाख तक प्राप्त किये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में निष्पादित बन्धक विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

संख्या- 295 (1) / 2016/XXVIII(9)/यू0ओ0-04/स्टाम्प/2014 तद्दिनांकित।

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं रेशम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  2. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधायी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  3. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
  4. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
  6. उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, देहरादून।
  7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
  8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
  9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(बी0डी0 बेलवाल)  
अनु सचिव।